मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2011 (चैत्र 10, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुखदेव पांसे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, सिवनी जिले की संजय सरोवर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के राहतगढ़ में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश आवास संघ द्वारा कल्पना नगर में गैर आवासीय भूमि का विक्रय किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम रक्सेहा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अन्तर सिंह आर्य, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री खुमान सिंह शिवाजी, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 मार्च, 2011